6

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०02–32/2015 22 पटना, दिनांक: 29-01-2021

कार्यालय आदेश

श्री अशोक रजक, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, हिसुआ प्रखंड, नवादा के विरूद्ध जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–21 (मु०) /सां० दिनांक–22.09.2015 द्वारा समर्पित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में आरोप पत्र गठित करते हुए निदेशालय के का०आ०सं०–264 सहपठित ज्ञापांक–1748 दिनांक– 09.11.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद को नियुक्त किया गया।

श्री अशोक रजक पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप निम्नवत् है :–

(i). श्री अशोक रजक बिना किसी सूचना एवं अनुमति के दिनांक–18.08.2015 से अनाधिकृत रूप से कार्यालय एवं जिला मुख्यालय से दिनांक–22.09.2015 तक अनुपस्थित हैं। उनकी यह अनाधिकृत अनुपस्थिति उनके अनुशासहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है। उनके इस कृत से उनको सौंपे गये सभी कार्य बाधित है।

(ii). श्री रजक के उक्त अनुपस्थिति के संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–445 दिनांक–27.08.2015 एवं पत्रांक–20 मु० दिनांक–16.09.2015 के माध्यम से स्पष्टीकरण मॉगा गया। जिसका जबाब आज तक अप्राप्त है, जो घोर लापरवाही का द्योतक है।

इस संदर्भ में श्री रजक पर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु पत्रांक–17 मु० दिनांक–14.09.2015 द्वारा निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से आदेश/ मार्गदर्शन हेतु लिखा गया था। जिसकी सूचना श्री रजक को भी ज्ञापांक–17 मु० दिनांक–14.09.2015 द्वारा दिया गया परन्तु कोई भी जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii). श्री अशोक रजक की प्रतिनियुक्ति बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन हेतु गठित निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग भी०मी०टी० टीम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी के आदेश पत्रांक–16 दिनांक–09.09.2015 के द्वारा की गई थी। परन्तु इनके द्वारा आज तक व्यय लेखा कोषांग में योगदान नहीं किया गया है। इनके इस कृत से जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा इन पर निर्वाचन कार्य में बाधा डालने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं

0167 स्था01 (का0आ0) (28 जनवरी 2021)

बिना जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया है।

2. संचालन पदाधिकारी –सह–अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद के पत्रांक–2040/रा० दिनांक–31.07.2020 द्वारा श्री अशोक रजक, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन–सह–जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष निम्नवत् है :–

<u>आरोप संख्या–1</u> :– श्री अशोक रजक, कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद दिनांक–18.08.2015 से सक्षम पदाधिकारी द्वारा बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इस संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा विभिन्न पत्रों यथा पत्रांक–445 दिनांक–27.08.2015, पत्रांक–20/मु० सां० दिनांक–16.09.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की पृच्छा की गई, परन्तु श्री अशोक रजक द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया।

अनाधिकृत अनुपस्थिति श्री रजक के अनुशासनहीनता , स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है, जिसके कारण उनके द्वारा आवंटित सरकारी कार्यो में बाधा उत्पन्न किया गया एवं कार्यो के निष्पादन ससमय नहीं हो सका। इस प्रकार यह आरोप आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रमाणित होता है।

<u>आरोप संख्या–2</u> :– श्री अशोक रजक, कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद के लगातार अनुपस्थित रहने के संबंध में जिला संख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद के विभिन्न पत्रों से स्पष्टीकरण की मॉग करते हुए इस आशय की सूचना निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को भी भेजी गई थी, जिसकी सूचना श्री रजक को भी उपलब्ध कराई गई थी। श्री रजक द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का जवाब समर्पित नहीं किया गया है। इस प्रकार यह आरोप श्री रजक के विरूद्ध प्रमाणित होता है।

<u>आरोप संख्या–3</u> :– श्री अशोक रजक, कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद की प्रतिनियुक्ति बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन में गठित निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग में जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के आदेश ज्ञापांक–16 दिनांक–09.09.2015 द्वारा की गई थी, परन्तु श्री रजक द्वारा उक्त कोषांग में योगदान नहीं दिया गया एवं श्री रजक लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। इस प्रकार श्री रजक द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में योगदान नहीं देना जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के आदेश का अवहेलना करना एवं मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की पुष्टि होती है। इस प्रकार यह आरोप श्री रजक के विरूद्ध प्रमाणित होता है।

आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक–1205/रा० दिनांक–03.05.2019 द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद से मंतव्य की मॉग की गयी । जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद ने अपने पत्रांक–189/जि०सां० दिनांक–06.03.2020 से सूचित किया

कि श्री अशोक रजक, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक का निजी संचिका का अवलोकन के पश्चात उनके संचिका का निजी संचिका का अवलोकन के पश्चात उनके संचिका में उक्त अवधि का टिप्पणी पृष्ठ एवं पत्राचार भाग से संबंधित पन्ने उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में इनके द्वारा अपने पत्रांक–836 दिनांक–27.12.2019 से श्री रजक को पत्र भी दिया गया। परन्तु श्री रजक द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। फलस्वरूप जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा मंतव्य देने में असमर्थतता जतायी गयी। पुनः अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक–1912/रा० दिनांक–15.07.2020 के आलोक में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद ने अपने पत्रांक–480/जि०सां० दिनांक–15.07.2020 द्वारा सूचित किया गया कि श्री अशोक रजक, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, औरंगाबाद द्वारा स्थापना एवं नजारत का कार्य करते थे। श्री अशोक रजक के निजी संचिका के टिप्पणी भाग एवं पत्राचार भाग से पृष्ठ हटाने में उनके सहभागिता प्रतीत होती है।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद के उक्त पत्र से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी कर्मी श्री अशोक रजक द्वारा संबंधित संचिका से टिप्पणी पृष्ठ एवं कई पत्रों को जानबुझकर गायब किया गया है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा आरोपी कर्मी श्री अशोक रजक से की गयी पृच्छा का जवाब नहीं दिया जाना यह प्रमाणित करता है कि श्री अशोक रजक द्वारा नियंत्री पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना इनका आदत है। विभागीय कार्यवाही संचालन में इनके द्वारा लगभग तीन वर्षों के बाद स्पष्टीकरण समर्पित करना एवं स्पष्टीकरण स्वयं उपस्थित नहीं होकर किसी माध्यम से समर्पित करना–उक्त आशय को और संपुष्ट करता है। इस प्रकार श्री रजक का यह कृत बिहार सरकारी कर्मचारी आचार नियमावली के विरूद्ध है। अतः गठित तीनों आरोप पूर्ण रूपेण प्रमाणित होता है।

3. समर्पित संचालन प्रतिवेदन में अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–2040/रा० दिनांक–31.07.2020 द्वारा आरोप प्रमाणित होता है, का समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) में किये गये प्रावधान के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–1792 दिनांक–10.09.2020 द्वारा जॉच प्रतिवेदन पर श्री अशोक रजक से अभ्यावेदन की मॉग की गयी। निदेशालय के पत्रांक–2241 दिनांक–22.12.2020 द्वारा श्री अशोक रजक को अंतिम अवसर देते हुए एक पक्ष के अन्दर पुनः अभ्यावेदन/निवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री अशोक रजक से अभ्यावेदन/निवेदन अबतक अप्राप्त है। इससे स्पष्ट है कि श्री अशोक रजक इस मामले में अपना अभ्यावेदन नहीं देना चाहते हैं।

4. श्री अशोक रजक, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, हिसुआ प्रखंड, नवादा द्वारा अनुशासनहीनता एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं किया जाना एक अपराध के श्रेणी में आता है। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक रजक, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, हिसुआ प्रखंड, नवादा पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के बिना 2(दो) वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

6. यह दंड निदेशालय के का०आ०सं०–296 सहपठित ज्ञापांक–2202 दिनांक–27.11.2019 द्वारा पूर्व में संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धि रोकने का दिये गये दंड के समाप्ति के बाद प्रभावी होगा।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०02–32/2015 139 पटना, दिनांकः 29-01-2021

प्रतिलिपि :–सचिव के आप्त सचिव,योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/ नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद/ नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, हिसुआ प्रखंड, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री अशोक रजक, तत्कालीन कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, हिसुआ प्रखंड, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/01

निदेशक

0167 स्था०1 (का०आ०) (28 जनवरी 2021).